न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/00180 जिला–अजमेर

1. श्रीमती नौसर देवी पत्नी बद्रीलाल
2. लवनेश पुत्र बद्रीलाल
3. नरेश पुत्र बद्रीलाल
4. सोनिया पुत्री बद्रीलाल
   समस्त जाति भांबी निवासी भील बस्ती, नाडी मौहल्ला, बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. नौरतमल त्रिपाठी अध्यक्ष दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति ई–46 बजरंग कॉलोनी बिजयनगर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर जिला अजमेर।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर आदेश क्रमांक
एफ/12(सी)कअ/राजस्व/2021/239 दिनांक 6–8–2021

————

उपस्थित–
1. श्री गौतम चन्द टांक अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री आकाश पारीक, प्रत्यर्थी संख्या–2
4. श्री एस.पी.ओझा प्रत्यर्थी संख्या 3

निर्णय

दिनांकः– 23–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का गलत कब्जा बताकर जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक एफ/12(सी)कअ/राजस्व/2021/239 दिनांक 6–8–2021 द्वारा

दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि मौजा बिजयनगर पटवार हल्का बिजयनगर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर में स्थित आराजियात जिसका खाता संख्या 1 तथा साबिक खाता संख्या 1 है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 723/148 एवं साबिक खसरा नम्बर 148/607 कुल रकबा 0.6229 हैक्टर भूमि अर्थात 3 बीघा 17 बिस्वा है। उक्त वर्णित आराजियात राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण के पिता स्व0 बद्रीलाल भांबी पुत्र छोगा लाल भांबी के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में विगत 60 वर्षो से दर्ज चली आ रही है तथा अपीलार्थीगण उक्त विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलार्थीगण के उक्त आराजी में हित निहित है। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 06–08–2021 से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त तर्को से अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का उक्त आराजी ग्राम बिजयनगर में स्थित खसरा नम्बर 723/148 पर पूर्व समय से आज दिनांक तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है जिससे अपीलार्थीगण का कब्जा साबित हो सके। अपीलार्थीगण अपने आपको पूर्व में अतिक्रमी बताकर आ रहा है जिसको राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिक कार्यवाही कर बेदखल कर दिया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात पर बरवक्त आवंटन के समय अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार का स्थायी कब्जा काश्त नहीं रहा है जिससे अपीलार्थीगण उक्त वादगस्त आराजी के हितबद्ध व पीड़ित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलार्थी का धारा 96 जा0दी0. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थीगण का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष खसरा नम्बर 723/148 रकबा 0.6229 हैक्टर किस्म बारानी–3 की सम्पूर्ण भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अनुसार राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई थी उक्त आदेश की पालना में ग्राम बिजयनगर की नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 31–3–2021 को उक्त खसरा नम्बर को खाता संख्या 1 में राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा आरक्षित खसरा नम्बर 723/148 रकबा 0.6229 हैक्टर किस्म बारानी–3 में दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति बिजयनगर बरल परिक्षैत्र जिला अजमेर रजि0 क्रमांक 71/अजमेर/2017–16 में दिनांक 5–4–2021 को गलत तथ्यों तथा गलत कब्जा तथा मुगालते में रखते हुए दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति बिजयनगर बरल परिक्षैत्र जिला अजमेर द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। छात्रावास हेतु आवंटन करने से पहले जिला कलक्टर अजमेर द्वारा जो आदेश दिये गये वह विधि के विपरीत है क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अनुसार राजकीय प्रयोजनार्थ ही आवंटन विधि अनुकूल है जबकि कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई मात्र फर्जी तौर पर तहसीलदार व पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर विशेष वर्ग के पक्ष में आवंटन करवाने बाबत गैर कानूनी रूप से सिवायचक दर्ज करते हुए दाधीच समाज के पक्ष में आवंटन बाबत विवादग्रस्त आराजियात को आरक्षित कर दिया गया जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार द्वारा धारा 91 की जो कार्यवाही की गई थी जिसकी रसीदे प्रस्तुत की गई है जो राजस्व दस्तावेज अनुसार कब्जे के पुख्ता प्रमाण है। अपीलार्थीगण को साक्षय व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 6–8–2021 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रकरण की जांच आने पर विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें यह व्याख्या की गई कि विवादित आराजियात का आवंटन करने में कौन सक्षम है इस आदेश में यह स्थिति विधि के अनुकूल नहीं है तथा कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए उच्च वर्ग को फायदा पहुंचाने की गरज से नामान्तरकरण को गैर मुमकिन राजकीय कार्यालय किया गया जो कि सरासर राजकीय दस्तावेजात की अवमानना है क्योंकि उक्त विवादित आराजियात तो धारा 92 के अनुसार राजकीय प्रयोजनार्थ कार्यालय हेतु रिजर्व की गई थी तमाम अनियमितता माननीय जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 6–8–2021 में उजागर हो रही है। अपीलार्थीगण विवादग्रस्त आराजियात पर 60 वर्षो से काबिज चले आ रहे है जो अपने सुस्थापित कब्जे से बेदखल हो जायेंगे तथा उक्त विवादित आराजियात उच्च जाति वर्ग के किसी समूह विशेष/समाज विशेष के लोगों को आवंटित, नियमितिकरण कर दी जायेगी। अपीलार्थीगण का अपने स्व0 पिता बद्रीलाल के समय से 60 वर्षो से चले आ रहे सुस्थापित कब्जे आदि का कोई महत्व नहीं रह जायेगा।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा तहसीलदार बिजयनगर उक्त विवादित आराजियात बाबत प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने के संबंध में जो जांच रिपोर्ट मांगी गई थी उक्त जांच में अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 3–9–2001/राजस्व/01/8466–67 उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपीलार्थीगण मु0 नौसर, लवनेश उर्फ नाथू को सूचना दी गई थी कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 148, 149 वाके ग्राम बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर गलत खातेदारी के संबंध में उनको दिनांक 13–9–2001 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश होकर विवादित आराजियात बाबत अपने साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए आदेशित किया गया था। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा जारी सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण का ही विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त मानते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया गया था जिसका कहीं हवाला तहसीलदार बिजयनगर द्वारा अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट जो जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित की गई थी में कहीं हवाला नहीं दिया गया जो कि एक दूषित दुर्भावना तथा अनुसूचित वर्ग के साथ कुठाराघात एव अन्याय किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–2021 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 723/148 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आवंटन/नियमन अपीलार्थीगण के पक्ष में किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 6–8–2021 द्वारा खसरा नम्बर 723/148 कुल रकबा 0.6229 हैक्टर राजकीय कार्य हेतु आरक्षित भूमि में से 0.3600 हैक्टर भूमि को अनारक्षित कर सिवायचक दर्ज कर दाधीच ब्राहम्ण समाज सेवा समिति पंजीयन संस्था का छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र पूर्व से विचाराधीन आवंटन प्रकरण को नियमानुसार निस्तारण बाबत नगर पालिका बिजयनगर को शर्तो व निबन्धों पर स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान किये गये जिसके तहत दाधीच समाज द्वारा आवंटन छात्रावास निर्माण हेतु नगर पालिका बिजयनगर को नगरीय भूमि आवंटन नियम 2015 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, विधान की प्रति, प्रस्ताव की प्रति, गत तीन वर्षो का ऑडिट रिपोर्ट, प्रस्ताव प्लान योजना, डी.डी की रसीद, अनापत्ति प्रमाण पत्र मौका रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट आदि चेक लिस्ट तैयार कर प्रेषित की गई। नगर पालिका द्वारा चेक लिस्ट का अवलोकन कर दिनांक 11–1–2022 को साधारण सभा में दाधीच समाज को छात्रावास हेतु राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत राज्य सरकार के नियमानुसार डीएलसी की पचास प्रतिशत दर प्रस्तावति कर बैठक में बहुमत के आधार पर दाधीच समाज को भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार स्वायत शासन विभाग जयपुर को प्रेषित किया गया। जिससे सम्पूर्ण आवंटन प्रक्रिया के दौरान अपीलार्थीगण का उक्त वादग्रस्त

आराजियात पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष विवादित आराजियात बाबत उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने उनके आदेश दिनांक 17–9–2021 को खारिज किया जा चुका था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 4–8–2022 से खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का आदेश यथावत रख गया। विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उनके आदेश दिनांक 6–8–2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा तहसीलदार बिजयनगर के अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंषा करते हुए ग्राम बिजयनगर के खसरा नम्बर 723/148 रकबा 0.6229 किस्म गैर मुमकिन राजकीय कार्यालय को पुनः अनारक्षित करने बाबत प्रस्ताव भिजवाये गये थे जिसके अनुसरण में ग्राम बिजयनगर तहसील बिजयनगर के खसरा नम्बर 723/148 किस्म गै0मु0 राजकीय कार्यालय रकबा 0.6229 हैक्टर में से 0.3600 हैक्टर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अनुसरण में अनारक्षित कर सिवायचक दर्ज कर दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति बिजयनगर द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित आराजियात के प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलार्थीगण विवादित आराजियात पर अपना कब्जा बता रहे है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादग्रस्त आराजियात पर उनका कब्जा सिद्ध होता हो। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद भी खारिज हो चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जिसे भी खारिज की जा चुकी है। अन्य न्यायालय के द्वारा भी अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार द्वारा 1983 से आज तक धारा 91 के नोटिस पेश किये है। अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 3–9–2001/राजस्व/01/8466–67 उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपीलार्थीगण मु0 नौसर, लवनेश उर्फ नाथू को सूचना दी गई थी कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 148, 149 वाके ग्राम बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर गलत खातेदारी के संबंध में उनको दिनांक 13–9–2001 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश होकर विवादित आराजियात

बाबत अपने साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए आदेशित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावे।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आराजियात राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण के पिता स्व0 बद्रीलाल भांबी पुत्र छोगा लाल भांबी के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में विगत 60 वर्षो से दर्ज चली आ रही है उक्त कब्जे के आधार पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 का नोटिस भी अपीलार्थीगण को जारी किया गया है जिसकी रसीदे अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है किन्तु विवादित आराजियात जिसका खाता संख्या 1 तथा साबिक खाता संख्या 1 है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 723/148 एवं साबिक खसरा नम्बर 148/607 कुल रकबा 0.6229 हैक्टर भूमि अर्थात 3 बीघा 17 बिस्वा है जो कि सिवायचक भूमि है जिसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अनुसार राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई थी। उक्त आदेश की पालना में ग्राम बिजयनगर की नामान्तरकरण संख्या 1196 दिनांक 31–3–2021 को उक्त खसरा नम्बर को खाता संख्या 1 में राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज किया गया था। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 6–8–2021 द्वारा खसरा नम्बर 723/148 कुल रकबा 0.6229 हैक्टर राजकीय कार्य हेतु आरक्षित भूमि में से 0.3600 हैक्टर भूमि को अनारक्षित कर सिवायचक दर्ज कर दाधीच ब्राहम्ण समाज सेवा समिति पंजीयन संस्था का छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र पूर्व से विचाराधीन आवंटन प्रकरण को नियमानुसार निस्तारण बाबत नगर पालिका बिजयनगर को शर्तो व निबन्धों पर स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान किये गये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर पालिका द्वारा चेक लिस्ट का अवलोकन कर दिनांक 11–1–2022 को साधारण सभा में दाधीच समाज को छात्रावास हेतु राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत राज्य सरकार के नियमानुसार डीएलसी की पचास प्रतिशत दर प्रस्तावति कर बैठक में बहुमत के आधार पर दाधीच समाज को भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार स्वायत शासन विभाग जयपुर को प्रेषित किया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक 12707 दिनांक 31–10–2022 द्वारा उक्त प्रस्तावानुसार दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति को छात्रावास निर्माण हेतु खसरा नम्बर 723/148 का नया खसरा नम्बर 1001/723 में से 3600 वर्गमीटर भूमि डीएलसी दर + 20 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है जिसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है साथ ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थीगण के पिता

को भूमि आवंटन की हो, के बाबत भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही विवादित आराजियात बाबत अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 17–9–2021 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 4–8–2022 द्वारा खारिज कर उपखण्ड अधिकारी मसूदा का वाद संख्या 99/2021 यथावत रखा गया है। तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही करने से भूमि पर अधिकार नहीं हो जाते है धारा 91 की कार्यवाही भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध भूमि से बेदखल करने के लिए की जाती है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दाधीच (ब्राहम्ण) समाज सेवा समिति द्वारा छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में पारित आदेश क्रमांक एफ/12(सी) कअ/ राजस्व/ 2021/239 दिनांक 6–8–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ/12(सी) कअ/ राजस्व/ 2021/239 दिनांक 6–8–2021 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर